<u>प्रकाशन हेतु अनुमोदित</u>

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

सिविल पुनरीक्षण क्र. 25/2007

आवेदक: श्रीमती जुगमती

विरुद्ध

उत्तरवादीगण शब्बीर हुसैन एवं अन्य

निर्णय

28/7/2009 के लिए सूचीबद्ध करें

सही/-

एन.के.अग्रवाल

न्यायधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

सिविल पुनरीक्षण क्र. 25/2007

आवेदक: श्रीमती जुगमती, उम्र लगभग 57 वर्ष, पति इच्छाराम सतनामी, निवासी ग्राम सेवती, तहसील बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ.ग)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

1. शब्बीर हुसैन, उम्र लगभग 85 वर्ष, पिता स्व. श्री रजब अली
2. अब्बास अली, उम्र लगभग 54 वर्ष, पिता स्व. श्री रजब अली, पेशा ट्रैडर, मेडिसन, निवासी जुनी लाइन, तहसील बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ.ग)
3. हगरु, उम्र लगभग 61 वर्ष, पिता बसवान सतनामी,
4. चंद्रशेखर, उम्र लगभग 43 वर्ष, पिता स्व. टेटकुराम सतनामी,
5. संतोष, उम्र लगभग 39 वर्ष, पिता स्व. टेटकुराम सतनामी,
6. विजय, उम्र लगभग 34 वर्ष, पिता स्व. टेटकुराम सतनामी.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>धारा 115 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत सिविल पुनरीक्षण</u>

(एकल पीठ: माननीय श्री एन.के.अग्रवाल न्यायधीश)

उपस्थितः

आवेदक के लिए श्री रविश चंद्र अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, सह श्री राजीव श्रीवास्तव अधिवक्ता

उत्तरवादी क्र. 1 और 2 के लिए श्री अली असगर, अधिवक्ता

अन्य उत्तरवादीगण के लिए कोई उपस्थित नहीं

निर्णय

(दिनांक 28/07/2009)

1. जिला न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 47 के अंतर्गत आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर निष्पादन प्रकरण क्र. 51 अ/90 में दिनांक 22-1-2007 को पारित आदेश से व्यथित होकर, जिसके द्वारा आवेदन को निरस्त कर दिया गया है, यह पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है।

2. अभिलेख के अनुसार, इस पुनरीक्षण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

i. आवेदक श्रीमती जुगमति ने अपने दो भाइयों टेटकू और हगरू के साथ मिलकर खसरा क्र. 647/1 क्षेत्रफल 1.35 हेक्टेयर की वादग्रस्त संपत्ति, जो कि ग्राम तिफरा, तहसील और जिला बिलासपुर में स्थित है, को सामान्य अधिकारी के रूप में विरासत में प्राप्त किया था और वादग्रस्त संपत्ति में उनका 1/3 हिस्सा था।

ii. दिनांक 27-1-87 को, उत्तरवादी क्र 1 और 2 (जिन्हें आगे "डिक्री धारक" कहा जाएगा) ने हगरू और टेटकू (आवेदक जुगमति समझौते के अनुसार सहमति देने वाली पक्षकार थी) के साथ 3,30,000/- रुपये के प्रतिफल पर वाद भूमि के संबंध में विक्रय का समझौता किया, जिसमें से 50,000/- रुपये हगरू और टेटकू को भुगतान किए गए।

iii. विक्रय विलेख निष्पादित करने से इनकार करने पर, विनिदिष्ट अनुपालन के लिए एक वाद प्रस्तुत किया गया, जिसे व्यवहार वाद क्र. 51 अ/90 के रूप में पंजीकृत किया गया।

iv. आवेदक पर उसके भाई के माध्यम से समन की तामीली की गई, जिसे सेवती गाँव में भेजा गया।

v. निर्णित ऋणी ने स्वर्गीय भागीरथी प्रधान को अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया, जिन्होंने वकालतनामा प्रस्तुत किया। लिखित बयान संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया, वाद पर तर्क सुना गया और उसके बाद दिनांक 13-12-95 को डिक्री धारक के पक्ष में संविदा के विनिदिष्ट अनुपालन के लिए एक डिक्री पारित की गई।

vi. अकिंचन के रूप में प्रथम अपील मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष एम.सी.सी. क्र. 531/96 के तहत प्रस्तुत की गई।

vii. दिनांक 15-1-96 को, प्रकरण में निष्पादन कार्यवाही डिक्री धारक द्वारा शुरू की गई और शेष राशि अर्थात 2,80,000/- रुपये पंजीकरण के लिए आवश्यक स्टाम्प के साथ जमा कर दिए गए। दिनांक 3-10-96 को, निर्णित ऋणी के अधिवक्ता श्री भागीरथी प्रधान ने प्रथम अपील में उच्च न्यायालय द्वारा पारित यथास्थिति आदेश के अनुसार निष्पादन कार्यवाही पर स्थगन के लिए व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया। निष्पादन न्यायालय ने आगे की कार्यवाही स्थगित कर दी।

viii. दिनांक 1/3/2005 को निर्णित ऋणी ने प्रथम अपील वापस लेने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया। दिनांक 16/3/2005 को, उच्च न्यायालय ने एम.सी.सी. (प्रथम अपील) को वापस लिए जाने से खारिज कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ix. दिनांक 19/4/2009 को अपील वापस लेने के आधार पर, डिक्री धारक ने 42,500/- रुपये मूल्य के गैर न्यायिक स्टाम्प को वापस ले लिया और निष्पादन प्रकरण में कार्यवाही न्यायालय द्वारा समाप्त कर दी गई।

x. डिक्री धारक ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे एम.जे.सी. क्र. 60/2005 के रूप में हगरू, श्रीमती जुगमति, चंद्रशेखर, संतोष, विजय और श्रीमती भूरीबाई (जिनकी बाद में मृत्यु हो गई) जो कि टेटकू और पारस नाथ, सुरेंद्र नाथ, महेंद्र नाथ और राहुल बाजपेयी के विधिक प्रतिनिधि हैं के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था और उन्होंने इस आधार पर निष्पादन कार्यवाही की बहाली की मांग की कि उनके पक्ष में डिक्री होने और समझौता होने के बावजूद, निर्णित ऋणी ने उनके पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित करने के बावजूद, दिनांक 6/6/2005 को पारस नाथ, सुरेंद्र नाथ और महेंद्र नाथ के पक्ष में 38,29,000 रुपये का विक्रय विलेख निष्पादित किया।

xi. एम.जे.सी. क्र. 60/2005 में अनावेदकगण ने अपना अलग से जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय में समझौता होने के बाद, डिक्री धारक ने समझौते द्वारा निर्धारित समय के भीतर विक्रय विलेख निष्पादित नहीं करवाया और उसके बाद ही उन्होंने उक्त भूमि पारस नाथ, सुरेन्द्र नाथ और महेन्द्र नाथ को विक्रय कर दिया और उसका कब्ज़ा भी सौंप दिया।

xii. जिला न्यायालय ने दिनांक 20-2-2006 के आदेश द्वारा निष्पादन वाद क्र. 51अ/90 में निष्पादन कार्यवाही को बहाल कर दिया और पक्षकारों को वाद भूमि के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश भी दिया।

xiii. दिनांक 11-5-2006 के आदेश के अनुसरण में, निष्पादन प्रकरण में समन आवेदक को दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 18-5-2006 के समाचार पत्र प्रकाशन के माध्यम से तामीली करायी गयी। दिनांक 24-6-2006 को आवेदक के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तत्पश्चात निष्पादन प्रकरण में मुख्य रूप से पारस नाथ, सुरेंद्र नाथ और महेंद्र नाथ ने मुकदमा लड़ा।

xiv. दिनांक 25-9-2006 को, श्री ओ.पी. अग्रवाल, अधिवक्ता, आवेदक (निर्णित ऋणी क्र. 2) की ओर से उपस्थित हुए और व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 47 के तहत एक आवेदन के साथ-साथ व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत एक आवेदन भी प्रस्तुत किया। आवेदक के अंगूठे के निशान की जांच हस्तलेख विशेषज्ञ से कराने हेतु कहते हुए कहा कि वाद का सम्मन उसे कभी नहीं दिया गया; उसने प्रकरण या निष्पादन की कार्यवाही के दौरान मुख्तारनामा, वकालतनामा, लिखित बयान या किसी भी कागज पर हस्ताक्षर नहीं किए; उसने अपने भाइयों के साथ कोई अपील प्रस्तुत नहीं की; उसे वापस नहीं लिया; वह कार्यवाही के बारे में बिल्कुल अनजान थी; उसके भाइयों द्वारा डिक्री धारकों के साथ मिलीभगत करके कागजात में उसके कूटरचित और नकली अंगूठे के निशान का उपयोग करके उसके विरुद्ध उक्त डिक्री पारित किया गया। चूँकि वह वाद भूमि के 1/3 हिस्से की स्वामी है, अतः पारित डिक्री उस पर बाध्यकारी नहीं है और उसके हिस्से की सीमा तक, प्रारंभ से ही शून्य है। आगे तर्क दिया गया कि चूँकि उसने और उसके भाइयों ने डिक्री धारक के पक्ष में कोई विक्रय समझौता नहीं किया है, अतः, डिक्री स्वयं अवैध, शून्य और गलत है। आवेदन के अनुसार, आवेदक को हाल ही में उसके क्रेता द्वारा सभी कार्यवाहियों के बारे में अवगत कराया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

xv. विचारण न्यायालय ने अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य की गहन जाँच के बाद आवेदन को निरस्त किया।

3. साबित्री देई और अन्य विरुद्ध शरत चंद्र राउत और अन्य, (1996) 3 एससीसी 301, इंडियन बैंक विरुद्ध सत्यम फाइबर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (1996) 5 एससीसी 550, बलविंदर कौर विरुद्ध हरदीप कौर (1997)11 एससीसी 701, केशर सिंह और अन्य विरुद्ध साधु (1996) 7 एससीसी

711, प्रताप राव कृष्ण राव फाल्के विरुद्ध कृषि उपज मंडी समिति, ग्वालियर 1998 (1) एमपीएलजे 141, और एस.पी. चेंगलवरैया नायडू (मृत) विधिक प्रतिनिधियों द्वारा विरुद्ध जगन्नाथ (मृत) विधिक प्रतिनिधियों और अन्य द्वारा, (1994) 1 एससीसी 1 के प्रकरणों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अवलंब लेते हुए। श्री रविश चंद्र अग्रवाल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आवेदक की ओर से उपस्थित होकर तर्क प्रस्तुत किया कि जब उसके साथ कपट हुआ, जो यदि सिद्ध हो जाता है, तो सब कुछ दूषित हो जाता है और कार्यवाही के साथ-साथ डिक्री को भी अकृत घोषित किया जाता, अतः, विद्वान विचारण न्यायालय को कपट के आरोपों की विस्तृत जाँच करने के बाद ही आदेश पारित करना चाहिए था। ऐसा न करने पर, विद्वान विचारण न्यायालय ने गंभीर अधिकारिता संबंधी अवैधता/त्रुटि की है और प्रकरण को वापस विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने की आवश्यकता है।

4. इसके विपरीत, उत्तरवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अली असगर ने वासुदेव धनजीभाई मोदी विरुद्ध राजाभाई अब्दुल रहमान एवं अन्य (1970) 1 एससीसी 670 और सुरेन्द्र सिंह एवं अन्य विरुद्ध लाल श्योराज बहादुरसिंह एवं अन्य (1975 एमपीएलजे 57) के प्रकरणों में दिए गए निर्णयों का अवलंब लिया और तर्क किया कि वर्तमान प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति से पता चलता है कि यह आवेदन आवेदक द्वारा उन व्यक्तियों/क्रमकर्ताओ के साथ मिलीभगत करके प्रस्तुत किया गया है जिनके पक्ष में आवेदक ने अन्य निर्णित ऋणी के साथ मिलकर विक्रय विलेख निष्पादित किया था। यह ऐसा प्रकरण नहीं है जहाँ यह कहा जा सके कि डिक्री न्यायालय द्वारा पारित की गई है जिसे इसे पारित करने का कोई अधिकार नहीं है और यह स्पष्ट रूप से अवैध है। इस प्रकरण का पक्षकारों द्वारा कड़ा विरोध किया गया और एक लंबी मुकदमेबाजी के बाद डिक्री पारित की गई है। आवेदक ने अन्य निर्णित ऋणी के साथ अपने अधिवक्ता के माध्यम से सभी कार्यवाहियों में भाग लिया और केवल अन्य के पक्ष में विक्रय विलेख के निष्पादन के बाद, उनका समर्थन करने के लिए, कपट के एक फर्जी तर्क पर आवेदन प्रस्तुत किया गया। वास्तव में, वे डिक्री धारकों से कपट करने की कोशिश कर रहे हैं। आवेदक का आचरण अनुचित है। प्रकरण में अत्यधिक विवादित तथ्यात्मक प्रश्न शामिल हैं। प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति में, यदि आवेदक के पास कोई उपचार उपलब्ध है, तो वह केवल विधिवत रूप से संस्थित वाद प्रस्तुत करके ही है, न कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 47 के तहत आवेदन प्रस्तुत करके और अतः, विचारण न्यायालय ने आवेदन को सही ढंग से निरस्त किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. इस प्रकरण में मुख्य प्रश्न यह है कि क्या इस प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति में, कपट/ मिलीभगत/कूटरचना के आरोपों की जाँच व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 47 के तहत एक

आवेदन में की जा सकती है ताकि इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सके कि क्या विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश अकृत है या नहीं?

6. इसमें कोई संदेह नहीं है कि कपट हर चीज़ को दूषित कर देती है। न्यायालय के समक्ष किया गया कपट न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। एक बार कपट साबित हो जाने पर, यह व्यक्ति को उससे प्राप्त सभी लाभों से वंचित कर देगा, और इसका पता लगाने या कार्यवाही करने में विलम्ब से कोई समानता नहीं बनेगी।

7. "कपट सभी न्यायिक कृत्यों, चाहे वह धार्मिक हो या लौकिक, से बचती है" इंग्लैंड के मुख्य न्यायाधीश एडवर्ड कोक ने लगभग तीन शताब्दियों पहले यह टिप्पणी की थी। विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय के साथ कपट करके प्राप्त किया गया कोई भी निर्णय या डिक्री विधि की दृष्टि में अकृत और अवास्तविक है। ऐसा निर्णय/डिक्री - प्रथम न्यायालय द्वारा या उच्चतम न्यायालय द्वारा - प्रत्येक न्यायालय द्वारा अकृत माना जाना चाहिए, चाहे वह उच्चतर हो या अधीनस्त। इसे किसी भी न्यायालय में, यहाँ तक कि संपार्श्विक कार्यवाही में भी चुनौती दी जा सकती है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने एस.पी. चेंगलवरैया नायडू (पूर्वोक्त) के प्रकरण में अवलोकित किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. इंडियन बैंक (पूर्वोक्त) के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 22 में अभिनिर्धारित किया है:-

"22. भारत में न्यायपालिका के पास भी अंतर्निहित शक्ति है, विशेष रूप से धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत, यदि वह न्यायालय से कपट करके प्राप्त किया गया हो तो अपने निर्णय या आदेश को वापस लेने की। वाद या कार्यवाही में किसी पक्षकार के साथ कपट के प्रकरण में, न्यायालय प्रभावित पक्ष को कपट से प्राप्त डिक्री को अपास्त करने के लिए एक अलग प्रकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है। अंतर्निहित शक्तियाँ वे शक्तियाँ हैं जो सभी न्यायालयों में, विशेष रूप से उच्च आधिकारिक वाले न्यायालयों में विद्यमान हैं। ये शक्तियाँ विधान से नहीं, बल्कि न्यायाधिकरणों या न्यायालयों की प्रकृति और संविधान से उत्पन्न होती हैं ताकि वे अपनी गरिमा बनाए रख सकें, अपनी प्रक्रिया और नियमों का पालन सुनिश्चित कर सकें, अपने अधिकारियों को अपमान और गलत कार्यों से बचा सकें और अनुचित व्यवहार के लिए दंडित कर सकें। यह शक्ति न्यायालय के कार्यों के व्यवस्थित प्रशासन के लिए आवश्यक है।"

9. व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 47 की योजना और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई प्रकरणों में निर्धारित विधि को देखते हुए, धारा 47, व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत आपत्ति निष्पादन न्यायालय द्वारा तब स्वीकार की जा सकती है जब कोई डिक्री अकृत हो, अर्थात जब कोई डिक्री न्यायालय से कपट करके प्राप्त की गई हो।

10. मैंने वर्तमान प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

11. इस प्रकरण में, आवेदक द्वारा लगाए गए आरोप संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक के दो भाइयों ने डिक्री धारक के साथ मिलीभगत करके उसके मुख्तारनामा, वकालतनामा, प्रकरणों और अन्य कागजातों पर उसके कूटरचित और नकली अंगूठे के निशान लगा दिए, जिसके आधार पर, उसके विरुद्ध विचाराधीन डिक्री पारित की गई है। अतः, उसके साथ डिक्री धारक और ऋणी दोनों ने कपट की है, जो विधि की दृष्टि में अकृत है।

12. अभिलेखों के अवलोकन से ही पता चलता है कि उनके द्वारा लगाए गए ये सभी आरोप अत्यधिक विवादित और जटिल प्रकृति के हैं। एक ओर, आवेदक अपने भाइयों के पक्ष में मुख्तारनामा के निष्पादन से इनकार करती है, जबकि दूसरी ओर, वह अपने भाई हगरू को मुख्तारनामा देकर बाद के विक्रेताओ के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित करती है। निष्पादन प्रकरण में, ज्ञापन के प्रकाशन के बावजूद, वह उपस्थित नहीं हुई और उसके बाद उसने विक्रेता के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर एक आवेदन प्रस्तुत किया। उसने 18 वर्षों की अवधि तक वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से के बारे में कभी चिंता नहीं की। आवेदन के माध्यम से उसने जो विवाद उठाया था, वह वास्तव में वादग्रस्त भूमि में उसके 1/3 हिस्से के संबंध में है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अतः, प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, और आवेदक के आचरण को देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता कि डिक्री धारक द्वारा न्यायालय के साथ कोई कपट किया गया है। अधिक से अधिक, यदि कोई कपट हुआ है, तो यह उसके भाइयों द्वारा किया गया कहा जा सकता है। जिसके लिए आवेदक के पास कोई उपचार नहीं है और वह उचित राहत पाने के लिए वाद प्रस्तुत करने के लिए हमेशा स्वतंत्र है। लेकिन प्रकरण की वर्तमान तथ्यात्मक स्थिति में, इसकी जाँच व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 47 के तहत नहीं की जा सकती हैं।

इसके लिए, मैं इंडियन बैंक (पूर्वोक्त) प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उस कथन पर अवलोकन करता हूँ जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रकरण या कार्यवाही में किसी पक्षकार के साथ कपट होने की स्थिति में, न्यायालय प्रभावित पक्षकार को कपट से प्राप्त डिक्री को अपास्त करने के लिए एक अलग प्रकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है। मैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा सुरेंद्र सिंह (पूर्वोक्त) प्रकरण में निर्धारित निर्णय से भी पूरी तरह सहमत हूँ, जिसमें यह माना गया है कि जहाँ कोई पक्ष कपट के आधार पर डिक्री को अपास्त करने या उसे कुछ आधारों पर शून्य या अप्रवर्तनीय घोषित करने के लिए प्रकरण प्रस्तुत करता है और डिक्री के निष्पादन पर रोक लगाने के लिए एक अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग

करता है, यदि पक्षकार न्यायालय के समक्ष कपट के मजबूत प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत करके सफल हो जाता है, तो न्यायालय हमेशा डिक्री के निष्पादन पर रोक लगाने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा दे सकती है।

13. उपरोक्त कारणों से, मेरा यह मत है कि पारित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यह संशोधन अस्वीकार किए जाने योग्य है और एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

सही/-

एन.के.अग्रवाल

न्यायधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By ……K.RADHIKA……